

MR. SPEAKER: I will allow him under 377.

Now, the Minister of External Affairs.

STATEMENT RE: REPORTED ANNOUNCEMENT MADE BY PRESIDENT OF PAKISTAN APPOINTING OBSERVERS FROM "NORTHERN AREAS" ON THE FEDERAL COUNCIL.

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI P. V. NARASIMHA RAO): On April 4, 1982, the Pakistan President Gen. Zia-ul-Haq is reported to have made an announcement appointing three observers from "Northern Areas" on the Federal Council.

This is the first time that the Pakistan Government have given such a "representation" to the areas which are juridically and constitutionally part of the Indian State of Jammu & Kashmir. Our CDA in Islamabad has already lodged a protest over the matter with the Pakistan Foreign Office.

President Zia-ul-Haq is also reported to have made a statement on April 12, 1982, in which he declared Gilgit, Hunza and Skardu in Pakistan-occupied northern Kashmir as parts of Pakistan. He is also reported to have stated that the three territories are part of Pakistan and not "disputed areas"—a description which the Pakistan Government has, without any justification, been giving to Kashmir.

The Pakistan CDA in Delhi was summoned to South Block on 13-4-82 and was asked to give us an authentic version of President Zia's statement on the subject. He was told that Government take serious objection to Gen. Zia's reported statement. Our wellknown position, viz. that juridically areas mentioned above are part of the Indian State of Jammu & Kashmir, was reiterated to the CDA.

We shall await the authentic version of the position of Pakistan on this question.

12-10 hrs.

CUSTOMS TARIFF (AMENDMENT) BILL*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SAWAI SINGH SISODIA): On behalf of Shri Pranab Kumar Mukherjee, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Customs Tariff Act, 1975.

MR. SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Customs Tariff Act, 1975."

The motion was adopted.

SHRI SAWAI SINGH SISODIA: I introduce** the Bill.

श्री आर० एन० राकेश (चैल) : स्वतंत्रता सेनानी परमानन्द के बारे में क्या नीति है सरकार की ?

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : कोई नीति तो बनायें (व्यवधान) यह बोल नहीं सकते क्योंकि यह मामला ऐसा ही है।

PROF. K. K. TEWARY: Regarding the statement made by the Minister I have a very important letter...††

अध्यक्ष महोदय : आप पुलिस को दीजिये न, यहां क्यों उठाते हैं ? ... (व्यवधान)

No, please. It is not your job. It is Mr. Dalbir Singh's job. He will do it.

श्री आर० एन० राकेश : अध्यक्ष महोदय, ऐसी घटनाओं के बारे में ? ...

(Interruptions)

*Published in Gazette of India Extra ordinary, Part-II Section 2, dated 15-4-82.

**Introduced with the recommendation of the President.

††Not recorded.

MR. SPEAKER: He had not sought my permission. How can it be on record? Don't insinuate things. I never expunge. Whatever is said without my permission will not go on record. You should not do it again and again. I warn you not to do it again and again. I can never expunge.

श्री आर. एन. राकेश : आपने ऐक्सपंज किया है जब मैंने वाक आउट किया

(व्यवधान)**

MR. SPEAKER: Either you are right or I am right. Nothing is expunged. Whatever is said without my permission will not go on record. You can come and see me. This is not the way to do it.

श्री हरशं कुमार नंगवार (पौलीभोत) : सरकार की क्या पालिसी है ?

अध्यक्ष महोदय : वह तो सब के लिये एक सी है, नहीं तो आजादी से कौन बोल सकता है ।

श्री हरिकेश बहादुर : पंडित परमानन्द जी को स्टेट फयूनरल देने के बारे में कुछ बतायें ।

अध्यक्ष महोदय : ज्ञानी जी, स्टेट फयूनरल की बात कर रहे हैं, आप बता दीजिये ।

श्री हरिकेश बहादुर : स्टेट फयूनरल होता है स्वतंत्रता सेनानी का ।

गृह मंत्री (श्री जै. सिंह) : स्पीकर साहब, अब तक स्टेट फयूनरल नहीं दिया गया । हमने कोशिश की थी, 1, 2 और भी हमारे ऐसे भाई थे, लेकिन दिल्ली में स्टेट फयूनरल नहीं दिया गया था । प्रांतों में सरकारें कभी कभी करती है, वह स्टेट फयूनरल नहीं होता, बल्कि पुलिस आनर होता है । मुझे याद है जब मैं मुख्य मंत्री था तब हमारे 3, 4 बहुत बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स भी थे, पार्लियामेंट के मेम्बर भी थे, मिनिस्टर्स भी रह चुके थे और एक, दो पार्लिटिवल पार्टीज के नेता थे । मैं चाहता

था कि उनको स्टेट फयूनरल दिया जाय । लेकिन दिया नहीं जाता यह एक जनरल पौलिसी है । मगर स्टेट अपना फैसला कर सकती थी केवल पुलिस आनर का । . . . पुलिस आनर का भी यूनिवर्सल टेरिटरी में रिवाज नहीं है ।

एक ममवीर्य सदस्य : वह होना चाहिये ।

श्री ज. सिंह : जहां तक मेरी जाती राय का सवाल है, मैं फ्रीडम फाइटर्स को सबसे ऊंचा समझता हूँ । उन्हीं की वजह से हम यहां बैठे हैं । (व्यवधान) मेरी प्रार्थना सुन लीजिये । सिटिंग मेम्बर आफ पार्लियामेंट या स्टेट मिनिस्टर का भी स्टेट फयूनरल नहीं होता, तब भी पुलिस आनर होती है अब तक यह रिवाज रहा है । इसलिये हम पंडित परमानन्द का स्टेट फयूनरल नहीं कर सके । पंडित जी के लिये हमारी श्रद्धा है, सत्कार है, सम्मान है ।

उनकी एडाप्टिड बेटी है । हमारे कायदे-कानून के मुताबिक फ्रीडम फाइटर्स की घर्मपत्नी को पहले 100 रुपये पेंशन मिलती थी । अब उसे 200 रुपये कर दिया है । मगर बेटी के लिये प्राविजन नहीं है । इसके लिये भी मैं स्पेशल इजाजत लूंगा कि उनकी बेटी को वह पेंशन दी जाए । उनके क्रिया कर्म के लिये प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड से 5,000 रुपये मंजूर फिर दिये गये हैं । दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को कहा गया है कि उनकी आखरी रस्म के लिये पूरी कोआपरेशन दी जाय, सबको दावत दी जाय और शोक सभा भी हो ।

श्री अटल बिहारी वासुदेयी (नई दिल्ली) : उनका कोई स्मारक बनना चाहिये । (व्यवधान)**

MR. SPEAKER: Without my permission never record anything. Whatever is said without my permission will never go on record.